

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

स्वयम्भू प्रिय,  
सरकार के उप सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,  
बीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक : - 09/11/2015

विषय: डा0 अशोक कुमार सिंह, सेवा निवृत्त उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना दिनांक 01.04.15 से 21.05.15 तक के प्रभार रहित अवधि के विनियमन के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि डा0 अशोक कुमार सिंह के प्रभार रहित अवधि उत्पन्न होने के पूर्व मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना में तकनीकी सलाहकार(स्वास्थ्य) के पद पर कार्यरत थे। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक-450 दिनांक 26.03.15 के द्वारा डा0 सिंह को 31.03.15 के अपराहन से विरमित किया गया। उक्त आलोक में डा0 सिंह ने अपना प्रभार 31.03.15 को त्यागकर दिनांक 01.04.15 को स्वास्थ्य विभाग मुख्यालय में योगदान दिया ।

2. स्वास्थ्य विभाग के अधिसूचना सं0 659(2) दिनांक 21.05.2015 द्वारा डा0 अशोक कुमार सिंह को उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया गया जिसके अनुपालन में इनके द्वारा दिनांक 22.05.2015 के पूर्वाहन में अधिसूचित पद का प्रभार ग्रहण किया गया ।

3. इस प्रकार डा0 अशोक कुमार सिंह, सेवा निवृत्त उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना दिनांक 01.04.15 से 21.05.15 तक पदस्थापन की प्रतीक्षा में रहे जिसका विनियमन निम्न प्रकार से किया जाता है :-

(i) दिनांक 01.04.15 से 21.05.15 तक - पदस्थापन की प्रतीक्षा के रूप में।

4. इसमें विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति तथा संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग (शक्तियों के प्रत्यायोजन से संबंधित विभागीय कार्यालय आदेश सं0 1002(5) दिनांक 08.09.2015) का अनुमोदन प्राप्त है ।

विश्वासभाजन

ह0/-

(स्वयम्भू प्रिय)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक : 3/एल-05-07/2015 - 479(2) /स्वा0, पटना, दिनांक : - 09/11/2015

प्रतिलिपि : अवर सचिव, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/अवर सचिव(लेखा), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/ डा0 अशोक कुमार सिंह, सेवा निवृत्त उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : विभागीय प्रशाखा पदाधिकारी-2,3,5,7,9 एवं 10 तथा विभागीय आई0टी0 मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।